संख्या-37/2016/891/सैंतीस-2-2016-1(12)/2015

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-12 अप्रैल, 2016

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1/बजट/29(5)/30/13/2015-16, दिनांक-01.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन हेतु अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-102-पशु तथा भैंस विकास-19-गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन (राज्य योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-41.00 लाख के सापेक्ष रू0-20.50 लाख (रूपये बीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
3. निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय अपितु जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-102-पशु तथा भैंस विकास-19-गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन (राज्य योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-37/2016/891(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गोसेवा अधिकारी, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, 10वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in